UPVR010057602026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1894 / 2026

रोहित रंजन पुत्र शशी रंजन निवासी वार्ड नंबर 26 चांदमारी मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–10 / 2026
धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 317(2) बी.एन.एस. व 66डी आई0टी0एक्ट
थाना–साईबार क्राईम, जिला–वाराणसी।

UPVR010057612026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1895 / 2026

विजय कुमार पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी बेलिसराय जिला स्कूल के पास चम्पारण बिहार।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–10 / 2026
धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 317(2) बी.एन.एस. व 66डी आई0टी0एक्ट
थाना–साईबार क्राईम, जिला–वाराणसी।

दिनांक–20–06–2026

1– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **रोहित रंजन व विजय कुमार** की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से संबंधित हैं अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

3– प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया है।

4– अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी सताब्दी जोशी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

Digitally signed by SANJEEV SHUKLA
Date: 2026.06.20 13:43:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करायी गयी कि एक व्यक्ति ने उससे WhatsApp पर संपर्क किया और बताया कि वह यूनाइटेड किंगडम में रहने वाला एक बिज़नेसमैन है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद, उनकी दोस्ती हो गई और वे नियमित रूप से बात करने लगे। बातचीत के दौरान, उसने उसे बताया कि यूनाइटेड किंगडम से उसके लिए एक कूरियर पार्सल भेजा है। कुछ समय बाद, उसे कस्टम विभाग के अधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों के फ़ोन कॉल आए। उन्होंने बताया कि उसके लिए भेजा गया कूरियर रोक लिया गया है क्योंकि उसमें कुछ संदिग्ध सामान था और पार्सल छुड़ाने के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा जिस पर भरोसा करके उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में, उसी व्यक्ति ने बताया कि वह भारत आ रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचने पर उसे कथित तौर पर इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले लिया। फिर उक्त मामले को सुलझाने के लिए पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया। इन झूठी और धोखाधड़ी वाली कहानियों का इस्तेमाल करके, आरोपियों ने बार–बार पैसे ट्रांसफर करने के लिए उकसाया। इस तरह, आरोपियों ने उसके साथ धोखाधड़ी की और अलग–अलग बैंक ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए कुल 10,81,792 रुपये ठग लिए।

5– उक्त के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध धारा 318(4) बी.एन.एस. व 66डी आई0टी0एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। दौरान विवेचना अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। मामले में धारा 336(3), 338, 340(2), 61(2), 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी।

6– प्रार्थी/अभियुक्त रोहित रंजन की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए कथन किया गया कि उसे साजिशन उक्त मुकदमें में गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। उसे कथित घटना की कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी घ ाटनास्थल से नहीं की गयी है। कथित मुकदमें का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त बी.टेक का छात्र है तथा छुट्टी होने पर अपने घर आया था तथा पास की दुकान पर चाय पी रहा था। कुछ लोग पहले से ही खड़े थे वहीं पर अचानक पुलिस वाले आ गये तथा बिना कुछ बोले सभी लोगों को उठाकर थाने लेकर चले गये। पूछताछ के दौरान उक्त मुकदमें के जो वास्तविक अभियुक्त हैं, उनसे नाजायज धन लेकर उन्हें छोड़ दिये। प्रार्थी व चाय विक्रेता को पैसे न देने के कारण अभियुक्त बना दिया। कथित मुकदमें में जिस बैंक खाते से पैसे का लेन देन बताया गया है उस खाते तथा आई0डी0 से उसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 31.05.2026 से जेल में है। वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

7– प्रार्थी/अभियुक्त विजय कुमार की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए कथन किया गया कि उसे उक्त मुकदमें में गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त चाय विक्रेता है तथा उसकी दुकान पर कई लोग आते जाते हैं। गिरफ्तारी वाले दिन वह अपनी चाय की दुकान पर चाय बेच रहा था। तभी अचानक पुलिस वाले आते हैं तथा ग्राहकों के साथ उसे भी पकड़कर थाने ले जाते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 31.05.2026 से जेल में है। वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

8– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा के साथ कुल 10,81,792 रूपये की धोखाधड़ी कर साईबर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण की साइबर ठगी के संगठित गिरोह में सक्रिय रूप से संलिप्तता प्रकाश में आयी है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त विजय की जामा तालाशी में उसके पास से 2 अदद मोबाईल फोन, 5200 रूपये नगद तथा अभियुक्त रोहित रंजन के पास से 1 अदद मोबाईल व 5000 रूपये नगद बरामद किया गया। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

9– उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

10– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रोहित रंजन व विजय कुमार** की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिग 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए–

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगे।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगे।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगे।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगें तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगे।

5– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1895/2026 पर रखी जाए।

दिनांक : 20–06–2026

(संजीव शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।
J.O. Code-UP1900

Steno-G.M.